न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 25/2022

1. जोर सिंह पुत्र हरगोविन्द जाति कुशवाह निवासी देवगढ तहसील मनियां जिला धौलपुर
2. संतो देवी पत्नि रामवीर जाति कुशवाह निवासी सैंपऊ रोड बाडी
3. हरीशंकर पुत्र मंगल सिंह जाति कुशवाह निवासी राजपुर हाल मौहल्ला पटपरा पुराना शहर धौलपुर

---------------- –प्रार्थीगण

बनाम

1. राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला ग्राम बासन का पुरा बासन का पुरा बरैठा धौलपुर जरिये प्रधानाचार्य पदेन पंचायत समिति प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राजकीय माध्यमिक विद्यालय बरैठा, धौलपुर
2. तहसीलदार धौलपुर

-----------------------------------अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 111 एंव 131 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांकः–08.11.2024

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आ.ख.नं. 64 रकवा 1 बीघा 09 विस्वा वाके ग्राम सिजरौली तहसील धौलपुर के खातेदार रामखिलाडी पुत्र बेदरिया थे। जिन्होने उक्त आराजी में से 05 विस्वा आराजी का अनरजिस्टर्ड दान पत्र राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला ग्राम बासन का पुरा बरैठा धौलपुर को दान किया । और उक्त दान की गई आराजी 05 विस्वा पर राजीव गांधी पाठशाला बासन का पुरा मजरा सिजरौली का भवन निर्मित है और विद्यालय संचालित है। आराजी खसरा नम्बर 64 रकवा 01 वीघा09 विस्वा वाके ग्राम सिजरौली के शेष रकवा 01 वीघा 4 विस्वा यानि 0.3035 है0 भूमि प्रार्थीगण ने क्रय कर लिया और प्रार्थीगण काविज काश्त है। खसरा नम्बर 64 रकवा 1 वीघा 09 विस्वा वाके ग्राम सिजरौली मनियां धौलपुर को पटवारी हल्का ने दो हिस्सो में विभाजित कर नये खसरा नम्बर 886/64 रकवा 0.0632 है0 एंव खसरा नम्बर 887/64 रकवा 0.3035 है0 कायम किए। प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 887/64 रकवा 0.3035 है0 वाके ग्राम सिजरौली धौलपुर ने प्रार्थी जोर सिंह वहिस्सा 1/8 भाग प्रार्थीया संतो देवी हिस्सा 3/4 भाग एंव प्रार्थी हरीशंकर हिस्सा 1/8 भाग के खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 886/64 वाके ग्राम सिजरौली पर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला ग्राम बासन का पुरा बरैठा भवन निर्मित है। पटवारी हल्का ने ख.नं. 886/64 रकवा 0.0632 है0 की नक्शा अक्श में जो तरमीम की गई है वह मौके की स्थिति के विपरीत है। पटवारी हल्का द्वारा तरमीम मौके की स्थिति के विपरीत कर दी है। पटवारी हल्का द्वाराउक्त तरमीम विधि विरूद्ध की गई है। जिसे दुरूस्त कराने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ख.नं. 887/64 रकवा 0.3035 है0 ख.नं. 886/64 रकवा 0.0632 है0 वाके ग्राम सिजरौली की तरमीम नक्शा अक्स में मौके की स्थिति अनुसार दुरूस्त की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटित तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नही। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

कार्यवाही की गई। तहसीलदार धौलपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि जमाबंदी संवत 2076–79 वाके ग्राम सिजरौली में ख.नं. 886/64 रकवा 0.0632 है0 किस्म चा0दो0 पर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला वासन का पुरा मजरा देह हिस्सा पूर्ण संस्था के लिए दर्ज है। तथा ख.नं. 887/64 रकवा 0.3035 है0 किस्म चा0दो0 पर जोर सिंह पुत्र हरगोविन्द हि0 1/8, सन्तोदेवी पत्नि रामवीर हि0 3/4 तथा हरीशंकर पुत्र मंगलसिंह हि0 1/8 दर्ज रिकॉर्ड है। ख.नं. 64 रकवा 1–9 वीघा पर रामखिलाडी पुत्र बेदरिया हि0 पूर्ण जाति काछी सा0देह खातेदार दर्ज था जिसमें से ख.नं. 64/1 रकवा 0.05 पर नामा0संख्या 313 दिनांक 10.10.2001 दानपत्र से रामखिलाडी पुत्र बेदरिया के बजाय राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला वासनका पुरा मजरा देह स्वीकृत हुआ। उपरोक्त दानपत्र में पाठशाला के लिए कोई दिशा/ नजरी नक्शा अंकित नही है। मुताबिक नक्शा लठ्ठा ग्राम सिजरौली में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला वासन का पुरा मजरा देह की तरमीम तथा राजीव गांधी स्वर्ध जयन्ती पाठशाला की मौके की स्थिति दशाई गई है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत 2076–79 ग्राम सिजरौली की प्रति पेश की गई।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया तथा कथन किया कि तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में मुताबिक नक्शा लठ्ठा में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला की तरमीम में तथा मौके की स्थिति में भिन्नता को दर्शाया है। अतः ख.नं. 886/64 तथा ख.न. 887/64 की तरमीम मौके की स्थिति अनुसार दुरूस्त की जावे।

बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार धौलपुर द्वारा दानपत्र में पाठशाला के लिए कोई दिशा/नजरी नक्शा अंकित नही होना अवगत कराया है। तथा मुताबिक नक्शा लठ्ठा एंव मौके की स्थिति में भिन्नता दर्शाई है। अतः हम तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसील मनियां के राजस्व ग्राम सिजरौली के खसरा नम्बर 886/64 तथा खसरा नम्बर 887/64 की तरमीम को मौके की स्थिति अनुसार दुरूस्त किया जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर
धौलपुर (राज0)